Action taken report in compliance of Hon'ble NGT order dated 15/01/2019 in OA No 29/2019 (Residents of Village Aheda Vs State of Uttar Pradesh).

Pursuant to the directions given by Hon'ble NGT on dated 15/01/2019 in OA No 29/2019 (Residents of Village Aheda Vs State of Uttar Pradesh). It is submitted that-

1. The above said order was received in Head Office, Lucknow of UPPCB on dated 06/02/2019 through Email and later on sent to Regional Office, UPPCB, Meerut.

2. A complaint against M/s Indo Industries, Chamravali Road, Village Aheda, Tehsil and District Bagpat from residents of Village Aheda was received through District Administration to this office on dated 12/02/2019. A notice was sent to the industry on dated 13/02/2019 on the basis of inspection dated 06/02/2019. Again a letter was received from District Administration on dated 21/02/2019 along with an order from National Human Rights Commission in this matter (copy attached). The inspection was carried out on dated 21/02/2019 in view of the order passed by National Human Rights Commission.

3. On the basis of Inspection report dated 21/02/2019 the consent AIR and Consent WATER were revoked under section 21(6) of Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981 as amended and Water (Prevention and control of Pollution) Act 1974 as amended respectively the copy of the revocation letters are attached.

4. Subsequent to the revoking of the consent, recommendation to initiate action against M/s Indo Industries, Chamravali Road, Village Aheda, Tehsil and District Bagpat under section 31A of Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981 was sent to Head Office, Lucknow vide this office letter no-1740/c/l-27/2019 dated 25/02/2019 (Copy attached), which is under process.

The above action taken report submitted before Hon'ble NGT, for kind perusal and necessary action.

Enclosure-As above.

Regional Officer

(S.P. Singh) J.E.

(Prakash Kumar) A.E.E.
उद्धरण के अनुसार, उद्धरण का निरीक्षण निर्देश 21.02.2019 को लिया गया। निरीक्षण अंशभूमि, निरीक्षण के समय बाहु प्रदर्शन नियमण व्यवस्थापन नहीं पायी गयी थी तथा उद्धरण की हास्य कीमत ग्लास पारी गयी। अतः उद्धरण के विरुद्ध 'गाय (प्रदर्शन नियमण तथा नियमण) अधिनियम, 1981 व्यापक संबंधित की थी। यहां 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निरीक्षण अंशभूमि संबंधित प्रश्न पर प्रेषित की जा रही है। यह ही उल्लेखनीय है कि उद्धरण के विरुद्ध गाय के निरीक्षण की जड़ शिकायत प्रस्तुत हुई है तथा उक्त शिकायत प्रश्न पर मानवाधिकार आयोग के निर्देश 14.01.2019 द्वारा निर्देश आदेश पारित किए गये थे।

"These complaints be transmitted to the concerned authority for such as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action within 8 weeks associating the complaints/victim and to inform them of the action taken in the matter."

जिससे संबंध में दूर कार्यवाही की आख्या निर्देश 18.03.2019 तक जिला अधिकारी कर्यालय, भारत को प्रस्तुत की जानी है। उत्तर पत्र की चयनात्मक संबंध है।

संलग्न—उपरोक्तकालुका।

भवदीय

(आधिकारिक)

शोधीय अधिकारी

1. जिला अधिकारी गोरखपुर, भारत को उनके कर्यालय के प्रति आवेदन के पत्रांक 183/शीतीला—गोरखपुर (संबंध अधिकार आयोग निर्देश 18.02.2019 के अंतर्गत) के लिए दूर तथा स्पष्ट आदेश पर अधिकारक कर्मचारी हेतु प्रेषित।

2. शिकायतार्थी अधिकारी पुलिस श्री अमृतपुर भारत भारत एवं अन्य गाय आदेश की सहित व जिला भारत (1981) के पूर्व उपरांत
उपरोक्त विषयक संदर्भातीय उद्योग के संबंध में जिला विभागीय महावान, बागपत के पत्रक्रम 183/सीरीज-10—माननीय मानवाधिकार आयोग दिनांक 18.02.2019 के अनुसार न उद्योग का निरीक्षण अधिकारिकता द्वारा दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री आमिर मुमशाह जी निदेशक प्रशिक्षण के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न लक्ष्य प्रकाश में आये—

1. उद्योग की आदेश से लगभग 63% की दूरी पर परिसर दिशा में अहेड़ा बागपत रोड पर स्थित है।

2. उद्योग द्वारा यूथ आयोग का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर डिस्ट्रेसेशन प्रक्रिया हूँ रिकार्य आयोग लगभग 12किलोमीटर/दिन का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित रहा।

3. इकाई में दो धार्मिक पत्थर हैं (आयोग फागस) क्षमता 06 लाख किलो वर्गीय क्षेत्र 06 लाख किलो वर्गीय रोशन है। उन्हें धार्मिक पत्थर हैं (आयोग फागस) में ईमान के रूप में धीरज का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक पत्थर हैं (आयोग फागस) एवं रेदिटेशन प्रोसेस से जनिता वायु उत्सर्जन के निरस्तरण हेतु वेद स्कर्ब तथा 20% की चिंमी की व्यवस्था की गयी है। निरीक्षण के समय उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रिया (वेद स्कर्ब) प्राप्त पाया गया। उद्योग द्वारा प्रक्रिया उत्सर्जन को सीधे ही चिंमी के माध्यम से निम्नतम में किया गया पाया गया।

4. उद्योग के निरीक्षण के समय हामी की एवं यूथ आयोग का स्वर्णावधी संस्थापनक कार्य नहीं पाया गया।

5. उद्योग का कार्यालय के पत्रक्रम 30.03.2017 द्वारा उद्योग में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवसायों के कामों के विषय में नोटिफिकेशन प्रदान किया गया तथा इस मप उद्योग के पत्र सं 1621 दिनांक 13.02.2019 द्वारा जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवसायों तथा पृष्ठ 2 में निर्देश जल/वायु सहभाग का आदेश दिनांक 31.12.2019 में अधिरोहित शास्त्री के अनुसार प्रदूषण हेतु नोटिफिकेशन प्रदान किया गया। उद्योग द्वारा आज दिनांक 22.02.2019 तक उपरोक्त प्रक्रिया का प्रतिवेदन प्रदान किया गया है।

6. उद्योग द्वारा जल/वायु सहभाग में अधिरोहित शास्त्री का अनुपालन नहीं किया गया रहा।

उपरोक्त सुझाव उद्योग के विशेष वायु प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 स्वयंसेवक क्षेत्र 31-के अनुसार अधिकारिक कार्यवाही किये जाने की संभावना की जाती है।

निरीक्षण आयोग आयकों अधिकारी एवं अधिकारिक कार्यकर्ताओं के साथ सम्बन्धित कर दिया है।

(प्रवृत्ति सिद्ध) अगर अमित
(सहायता उपाध्याय) शहदीपाल अमित
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या 66
Ref.No. 729/1-2/2019

दिनांक 28.1.2019

राजीव

संवाद

बाबू (इलेक्ट्रॉनिक पत्र-निर्देशक) अधिनियम 1861 के अनुसार उप्र नदी प्रदेश के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में।

महोदय,

कृपया अनुशीलन विविधता संबंध में उलझ का नमूना करें। उलझ का इस कामलिख के स्थान 1341/लाई/एसएक्सवार्ड/आई-27/2017 दिनांक 31.01.2017 हाथर सहमरी लिखाकृत 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2019 तक की जाँच हेतु लिखित की गई है।

अध्याद वाला है कि उलझ के लिए निर्देश निर्देशक के कम ने अपके ढंग से निर्देश द्वारा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.02.2019 को किया गया। निरीक्षण अध्यादुर्गात यथौ नियंत्रण तत्परता नहीं प्रदान नहीं तथा धारा सहमरी की विशेषता का उत्तराधिकारी नहीं पाया गया। उलझ में यथौ प्रदूषण नियंत्रण तत्परता में पारी नहीं कार्यों के श्रम निर्देश द्वारा दिनांक 31.02.2019 हाथर मदेनें दिनांक 01.01.2017 द्वारा मदेनें की प्रभावित किया गया है। पस्तु उलझ डाल उत्तर प्रदेश के कम में कोई उलझ प्रभावित नहीं किया गया है।

अतः उलझ को जारी वालू सहमरी 1341/लाई/एसएक्सवार्ड/आई-6/2017 दिनांक 31.01.2017 के यथौ (प्रदूषण नियंत्रण तत्का नियंत्रण)अधिनियम,1861 थाना लाँचित में प्रभावित प्रविधियाँ 21(6) के अन्तर्गत प्रदूषणप्रदर्शक की जारी है।

प्रतिष्ठित:

युधिष्ठिर अविराही

प्रतिष्ठित:

युधिष्ठिर अधिकारी

लालचन्द्र: पालन-ढी, ढी-3/2, ढीलाममा, ढीला-2, ढीरीपुर कैश-250 110 (क्रिकेट)
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या सं.
Ref. No. 1738/1 2.27.2019

दिनांक:
Dated: 23.4/1

विधेय —
जल (प्रदूषण, नियन्त्रण एवं नियामक) आयोगित्त 1974 के अनुसार जल निर्मिति के निरीक्षणकर्ता के सामने मे।

लाभार्थी:

ग्रुपा उपलब्धि विवरण संदर्भ ब्रह्म करने का कारण करे। इंट मे की इस कार्यक्षेत्र के प्रवाह के

1340/सी/एक्सप्रेस/अर्ज-27/2017 विनिमय 31.01.2017 द्वारा स्थानीय सम्बन्धी विनिमय 01.01.2017 से विनिमय 31.12.2019 तक

की अवधि हेतु निर्भर की गयी थी।

उद्देश्य करार है कि उद्धोष के विश्वसनीय विरासत के रूप में अपने उद्देश्य का निरीक्षण द्वारा इस कार्यक्षेत्र द्वारा

विनिमय 21.02.2019 को बिदा रखा। निरीक्षण अग्रामाज्ञान उद्धोष को ग्रुपा ग्रुपा सूचिक बदल नहीं पाती। दृष्टि-पुस्तक आयोग का

सर्वोच्च अदालत टूटक प्रकार से नहीं पाया गया तथा जल रहस्य मूल रूप से उद्धोष होगा पाया गया। उद्धोष ने यह यह विश्वसनीय

को सूचिक किये जाने हेतु पुस्तक सं. 1621 विनिमय 13.02.2016 रूप में पब्लिक सं. 1654 विनिमय 30.03.2017 द्वारा नोटिस भी प्रेसिडेंट

किये गये थे। पहले उद्धोष द्वारा €क प्रवाह रखा पत्र के रूप में कोई उद्धोष प्रेसिडेंट नहीं बिदा रखा गया है।

अतः उद्धोष को उद्धोष द्वारा संन्यास 1340/सी/एक्सप्रेस/अर्ज-27/2017 विनिमय 31.01.2017 को

जल (प्रदूषण, नियन्त्रण एवं नियामक) आयोगित्त 1974 के अनुसार प्रतिपलं 27(2) के अन्तर्गत (विवरणित) की

प्रतिविधि —
मुख्य परम्परा कार्यक्रम (नं.37), जल (प्रदूषण, नियन्त्रण एवं नियामक) अधिनियम, लक्ष्यक को सूचिक का प्रेसिडेंट।

रोजी अधिकारी

शैली अधिकारी

रोजी अधिकारी:

पाकेड़-टी, सी-3/2, पल्लभपुर, चेतवनी-2, मोदीपुर, मंडल — 250 110 (उत्तरप्रदेश)
उपरोक्त विषयक संदर्भित उद्देश्य उद्देश्य के संबंध में जिलाधिकारी नगरपालिका बागपत के पटरीक 183/सीसी-मन्त्री-मानवाधिकार आयोग दिनांक 18.02.2019 के अनुसार में उद्देश्य का निरीक्षण अध्यादेशार्थक प्रदर्शन द्वारा दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अभिमा जुनमार जीन,उद्देश्य प्रतिनिधि के साथ में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आयोजन की गई है—

1. उद्देश्य ग्राम आहेड़ा से दूरी 630 मीटर की पूरी पर पश्चिम दिशा में आहेड़ा बागपत रोड पर स्थित है।

2. उद्देश्य द्वारा पूजा आयोग का कार्य को मुख्य में रूप में प्रस्ताव कर दिखाया गया है। उद्देश्य के समय उद्देश्य संबंधित पाया गया।

3. इसमें दो धार्मिक पर्यटन होटल (आयोग वार्ड) कमाना 06 साल तक विश्व विश्व लोगो स्थापित है। उद्देश्य धार्मिक पर्यटन होटल (आयोग वार्ड) में ईंधन के रूप में दीवाल का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक पर्यटन होटल (आयोग वार्ड) एवं सिद्धांतगत वर्तन के जलन दायु उत्सव के साथ साथ 100 फुट की लंबी की ब्राह्मण की बांधन की गयी है। निरीक्षण के समय उपरोक्त दायु प्रदर्शन प्रक्रिया के साथ उद्देश्य को घूमते ही प्रशिक्षण के महत्व से निम्नलिखित किया गया।

4. उद्देश्य के निरीक्षण के समय हाउस की प्रदर्शन एवं पूजा आयोग का श्रद्धांजलि सांस्कृतिक स्थल पाया गया।

5. उद्देश्य को कार्यस्थल के प्रति 1854 दिनांक 30.03.2017 द्वारा उद्देश्य के जल/वायु प्रदर्शन निरीक्षण व्यवस्थाओं के कृतियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित किया जा चुका है तथा पुनः कार्यस्थल के पूर्व सं 1621 दिनांक 13.02.2019 द्वारा जल/वायु प्रदर्शन निरीक्षण व्यवस्थाओं तथा पूर्व में निरंतर जल/वायु सहजता बनाने के लिए दिनांक 31.12.2019 में अपनीपित शास्त्री का अनुसरण हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। उद्देश्य द्वारा आज्ञा दिनांक 22.02.2019 से उपरोक्त प्राप्त का प्रेषित नहीं किया गया है।

6. उद्देश्य द्वारा जल/वायु सहजता में अपने पिता का अनुसरण पाएं जा चुका है।

उपरोक्त उद्देश्य का जल सहजता संदर्भ सं 1340 दिनांक 31.01.2017 तथा वायु सहजता संदर्भ सं 1341 दिनांक 31.01.2017 को जल प्रदर्शन (निवारण तथा निरन्तर) अभिमित,1974 व्यवस्थापित तथा वायु प्रदर्शन (निवारण तथा निरन्तर) अभिमित,1981 में प्रयोगिता प्रतिक्षाओं के अनुसार फिल्म दिखाने की संभावना की जाती है।

निरीक्षण आयोग आयोग के अवदर्शनार्थ एवं अभिमा आयुक्त कार्यालय हेतु सादृश्य प्रेषित है।

कृष्ण आर्करारी

22.02.19

(पत्रकार) (सिद्ध)

22.02.19

(पत्रकार) (सिद्ध)
पत्रांक 183 /सी०सी०७—माननीय मानवाधिकार आयोग
dिनांक/8 फरवरी, 2019
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण कोर्ट

विषय:-
केस संख्या 333/24/08/2019 श्री ओम पाल पुत्र श्री राम काला एवं अन्य
निवासी ग्राम अहेड़ा तहसील व जनपद बागपत के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक सहायक निवंदक (विवि), माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग के पत्र दिनांक 14/01/2019 (मूलरूप में संलग्न) के साथ संलग्न श्री ओमपाल व
अन्य ग्रामवासियों निवासी ग्राम अहेड़ा तहसील व जनपद बागपत के प्राधिकर्म के पत्र दिनांक
04-12-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिससे द्वारा श्र.त कराया गया है कि ग्राम में आबादी
के नजदीक विभिन्न याता रोड पर काले तेल को फिल्टर करते वाली एक मोटिल आयाल कैंप्टी
चल रही है। जिससे, निकलते वाली जलपीली गैस एवं धुंध के कारण ग्रामवासियों तथा
जनावरों को सोसा लेने में तकलीफ होती है।

अत: आपसे निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकर्म पत्र में स्लिडवित कथ्यों एवं
माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में नियमावलूस आवश्यक कार्यबाही करते हुए दिनांक
08-03-2019 तक आखरी से अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि प्राधिकर्म की समय
से आख्या प्रविष्ट की जा सके।

संलग्नक= यथोचक।

प्रभारी अधिकारी (श्रीकायत)
कृपया जिला अधिकारी

प्रति: महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

21.02.19

कृष्ण जिला अधिकारी
इलाहाबाद
Sir/Madam,

The complaint dated 04/12/2018 received from OMPAL S/O RAM KALA AND OTHERS in respect of OMPAL S/O RAM KALA AND OTHERS, was placed before the Commission on 08/01/2019. Upon perusing the complaint, the Commission directed as follows.

These complaints be transmitted to the concerned authority for such action as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action within 8 weeks associating the complainant/victim and to inform them of the action taken in the matter.

2. Accordingly, I am forwarding the complaint in original for necessary action as per the directions of the Commission.

Yours faithfully,

Assistant Registrar (LAW)

CC To:

Case No. 333/24/8/2019/
OMPAL S/O RAM KALA AND OTHERS
AT- VILL- AHEDA,
BAGHPAT, UTTAR PRADESH.
PIN: - 0
पत्रक /553 /सीसी01-माननीय मानविकार आयोग
dिनांक /६ फरवरी, 2019

श्रीरा प्राध्यापनकाला/समवादः

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत

कृपया अधिकारियों प्रद्यूषण प्रतिबंधन व निर्देश

निर्देश:-

केस संख्या 333/24/08/2019 श्री आम पाल बुन श्री राम काला एवं अन्य निवासीगण ग्राम अमेजा तहसील व जनपद बागपत के समबाद में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक निदमक (विधि), माननीय राष्ट्रीय मानविकार आयोग के पत्र दिनांक 14/01/2019 (मूलपत्र में संलग्न) के साथ संलग्न श्री आमपाल व अन्य ग्रामवासियों निवासी ग्राम अमेजा तहसील व जनपद बागपत के प्राध्यापन पत्र दिनांक 04-12-2018 का सत्यत्र प्रहण करें जिसके द्वारा यो. दा कराया गया है कि ग्राम में आबादी के नजदीक विलास गृह पर काले तेल को फिल्टर करने वाली एक मोबिल आय्वल फॉक्ट्री चल रही है। जिसमें निकलने वाली जहरीली गैस एवं धुएं के कारण ग्रामवासियों तथा जानवरों को सौंदर्य देने व तकलीफ़ होती है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राध्यापन पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 08-03-2019 तक आय्वाज से अवगत करता सूचित करे ताकि तनानीय आयोग को समय से आवश्या प्रभाव की जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

प्रमाणीय सिफारिस (सिफारिस)

कृपया जिलाधिकारी

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनाधीन।

210219
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या No. 1621/6/मार्च 2019
dated 13/4/2019

श्रेणी कार्यालय
REGIONAL OFFICE

अधिनियम 1981 के अनुसार (के संबंध में)

नामित:

केंद्रीय आयुक्त

विवेकानन्द ब्रह्मचारी

ग्राम अधिकारी।

जनवरी वर्ष 2019।

भव्यापत्र

उपरोक्त विवेकानन्द ब्रह्मचारी के निर्देशों पर आपके उद्देश्य के विकास निर्देश नियंत्रण विभाग की जा रही है कि आपके प्रदेश से विदेशी गैसों उत्पादन हो रहा है जिससे ग्राम अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उपरोक्त निर्देश के कारण ब्लाक आपके उद्देश्य का निर्देशन- 24/12/2018 व 06/2/2018 को किया गया। निरीक्षण आयुक्तालय के उद्देश्य संबंधी प्रकारा प्राप्त। आयुक्त्भूषण वह समयांतर इनकैल गैस की किसी भी गैस का नियंत्रण निरक्षण विभाग बदल करने की संधन किया गया है जिसका कारण निरन्तर नियंत्रण विभाग को किया गया है।

उपरोक्त संबंधी आदेश में आपुरुषित विभाग की अनुपालन अधिकार अभी तक अनुपम है लेकिन निरंतर प्राप्त नियंत्रण विभागों के संबंध में ऐसा प्रविष्ट हो रहा है कि आपके द्वारा उत्कृष्ट विभाग का अनुपालन निरस्त किया जा रहा है तथा प्रक्रिया से जिनका प्रक्रिया के निरन्तर हेतु अनुपालन वार्ड अधिकार का संपूर्ण संपथ निरस्त किया जा रहा है तथा कारण अनुपालन के निरंतर सिद्धियों का प्रतिकूल कर रहा है।

आपके उद्देश्य निरस्त किया जाता है कि उत्कृष्ट निर्देशार्थ अनुपालन के विभाग का संपूर्ण अधिकार अनुपम निरस्त किया जाए और विभेदकारी का विशेष 07 फिट के अंतर कार्यालय को प्रभावित किया जाना सुनिश्चित किया जाए अनुपालन वार्ड की विभाग की संपूर्ण विभाग मुख्यालय प्रेषित कर दी जाने जिसका संपूर्ण उल्लेखाद्यार आपका स्वागत का होगा।

विवेकानन्द ब्रह्मचारी

आदेशदाता

उप्राधिकारी

प्रतिज्ञापत्र- निरन्तर नियंत्रण की सुधार चाहिए प्रेषित।

1. प्रशंसा ग्राम अधिकारी, बागपत।
2. प्रशंसा ग्राम अधिकारी, बुधल-3, उपरोक्ता, नियंत्रण बोर्ड, लहसुन।
3. केंद्रीय आयुक्त, बागपत को उनके पत्रांक-580/एडिटिंग-07/2/19 के अनुसार में निरीक्षण आयुक्त की प्रति सहित सुनिश्चित एवं अभिमन्यु आयुक्त कार्यालय हेतु प्रेषित।
4. विभागाधिकारी, बी विभाग ग्राम अधिकारी, बहरीनाथ बागपत।

विवेकानन्द ब्रह्मचारी

आदेशदाता

उप्राधिकारी
उपरोक्त विषयक उद्देश्य उद्देश्य के विरुद्ध पूर्व में प्राप्त शिकायत दिनांक—04/12/18 के कारण में
उद्देश्य हारा 24/12/2018 एवं 06/02/2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आवश्यक
शिल्पक्ष है—
1. उद्देश्य प्रश्नगत उद्देश्य देशांतर अवसर—28.934586, 77.259169 दिनांकवस रोड प्रांग अहेंडा, तहसील व
जनपद भाग्य पर स्थित है।
2. उद्देश्य हारा कच्चे माल के रूप में यूक्लिड अपडेट को किस्टलेज़न प्रोसेस हारा फ़ॉन्सिंग कर यूक्लिड
आयल को उम्मीदवार करने का कार्य किया जाता है।
3. उद्देश्य प्रश्नगत उद्देश्य के निरीक्षण के समय उद्देश्य में स्थापित धर्माश्रय डीटॉर फ़ॉन्सिंग से
जनित पहल के निर्देश हेतु वेट स्क्रिन तथा 30मिनट उंची चिमनी की स्थापना की गयी है। निरीक्षण
के समय उद्देश्य में स्थापित वेट तकनीक संचालित पाया गया जबसे उद्देश्य के विरुद्ध निर्देश शिकायत
प्राप्त हो रही है जिससे प्रश्न निर्देश होता है कि उद्देश्य हारा वेट स्क्रिन का संचालन सुसंगत रूप से नहीं हो
रहा है।
4. उद्देश्य को राज्य बोर्ड हारा वर्ष 2018 तक जल/पानी सहमति प्राप्त है। अपितु उद्देश्य हारा राज्य
बोर्ड से प्राप्त जल/पानी सहमति की अक्षर: अनुपालन आरोप नहीं की गयी है।
उद्देश्य को उपजीत रक्षा हेतु यह उद्देश्य को नोटिस भेंटित किये जाने की संख्या सहित
आवश्यक आपसी अधिकृतांतर एवं अर्हत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुसूची है।

date
अवर अभियंता
श्रेष्ठी कार्यालय उप्रा 200 द्वारा संस्थापित

विषय: ग्राम अहैदा तहसील बागपत जनपद बागपत में ग्राम गृहुपरण से हो रही समस्याओं के

संबंध में।

श्रीमती कार्यालय उप्रा 200 द्वारा संस्थापित

नियंत्रण बोर्ड रेषट्टा, पाकेट टी-सी-3/2

पल्लवपुर टेज-2 मोदीपुर में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला अधिकारी द्वारा संशोधित एम-203/सी-3/2019 दिनांक 18.01.2019 का सन्ध्याकाल से आवश्यक विषय सम्पर्क में कृपया संपर्क करें। जो है यह शिकायत प्रार्थना पत्र

दिनांक 04.12.2018 प्रस्तुत करते हुए अवसर कराया गया है कि ग्राम अहैदा में हिंदी के

जिसमें काफी जहरीली गैस आसपास के वातावरण में फैल जाती है जिससे गांव में धुंधों और व्यक्तियों को श्वास लेने में काफी दिक्कत हो रही है दिया गया है।

(मूल रूप में संलग्न)

अतः उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र का दिनांक 04.12.2018 मूल रूप में आवश्यक नियमानुसार प्रेषित किया जा रहा है। जिसकी अ/ख्या प्रत्येक दसा उपलब्ध करती है।

संलग्नक: इच्छापति

(विवेक कुमार प्रदाता)

उप जिला अधिकारी सदर

बागपत

प्रतिलिप्त: 01-जिला अधिकारी महोदय बागपत को उनके पूर्णता से आदेश एम-203/सी-3/2019
dिनांक 18.01.2019 के लिए कम में संदेह पूर्ण प्रेषित।

उप जिला अधिकारी सदर

बागपत
प्रवेशद्वार यह है कि प्राप्तिगणना ग्राम अहेंद्र राहसील व जिज्ञासा बागपत को रहने वाले हैं और कानून प्रस्तुत व्यक्ति है। प्राप्तिगणना के बाद अहेंद्र ने आमदनी के नामीक्षण दस्तावेज पर सिरिया बदेड़े का समने कार्य कराते हैं जिससे अदालत वायिकों को बताते हैं कि उनके पास कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जानकारी गैस आपदा के वातावरण में फैल जाती है जिससे पास में भाईयाँ व व्यक्तियों को बताते हैं कि कौन दिन क्यों नहीं है और उनमें अस्तित्व वाली चर्चाएँ अदालत की गई है और फिर उन्हें निकलने वाली गैस के कारण उल्टन वायु प्रदूषण से सभी प्राप्तिगणना व पास का धीरे-धीरे खराब हो जाता है। इसके समय में गैस के कारण व्यक्तियों ने आप नहीं करना देते नहीं रखने में यदि तब प्राप्तिगणना दिन दिन हो जाती है, तो आपकी गोपनीयता व उनके पास वायु प्रदूषण से बेच्छा नहीं करने को मजबूर है। 

अतः अदालत जी के प्रमाण से प्राप्त है कि प्राप्तिगणना गैस दायियों ने उल्टन वायु प्रदूषण का स्वयं कारक है गैसियाँ के साथ व्याप्त करने की जरूरत है। अदालत की अति त्रुटि हो गई है।

प्राप्तिगणना
समानग्र गैसियाँ
ग्राम अहेंद्र, तहसील बागपत
जनपद बागपत

प्रतिपत्ति-
1. मुख्य मुख्यमंत्री महेंद्र, उत्तर प्रदेश के सदस्य, उत्तर प्रदेश व विज्ञापन, उत्तरप्रदेश।
2. अध्याय, राजस्थानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोकसभा।
3. अध्याय, राजस्थान कर्त्तव्य प्रदूषण प्रोटोकॉल, नहीं दिखाएगा।
4. अध्याय, नेशनल डेमोक्रेटिक, नहीं दिखाएगा।
5. अध्याय, कर्त्तव्य गैस दायियों अधिकार, भूमि संरक्षण, नहीं दिखाएगा।

प्राप्तिगणना में राहसील राहसील के साथ संयुक्त व्यापारी का समय इलाका के साथ व्याप्त करने की जरूरत है।